स्वीकार किया है। मुतनाजा भूमि की खातेदारी मे प्रार्थी का नाम छोटाराम पुत्र मुगनाराम दर्ज होने से वादी को कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिससे प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड मे छोटाराम पुत्र मुगनाराम के स्थान पर लोडूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुतनाजा भूमि की खातेदारी मे प्रार्थी का नाम छोटाराम पुत्र मुगनाराम के स्थान पर लोडूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज किया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की क्षति होने वाली नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 7 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 3 का नोटिस तामील होकर पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी 1 भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मे छोटाराम पुत्र मुगनाराम के स्थान पर लोडूराम पुत्र मुगनाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत लोक दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम लोडूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को पैतृक उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी के कथनानुसार फौतगी नामान्तकरण भरे जाने के समय प्रार्थी नाबालिग था जिससे प्रार्थी के बालिग रिश्तेदारो यथा माता एवं भाईयों के द्वारा बोलता नाम छोटाराम पुत्र मुगनाराम राजस्व रेकर्ड मे अंकित करवा दिया गया है। भूमिधारी ने भी छोटाराम पुत्र मुगनाराम के स्थान पर लोडूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज किये जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की है। ग्राम पंचायत चौसली ने भी छोटाराम पुत्र मुगनाराम व लोडूराम पुत्र मुगनाराम नाम का एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अन्य सहखातेदारान की सहमति एवं भूमिधारी तहसीलदार डेगाना की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढूकियासर मे खसरा नंबर 1 रकबा 5.21 हैक्टेयर की खातेदारी मे दर्ज छोटाराम पुत्र मुगनाराम के स्थान पर लोडूराम उर्फ छोटाराम पुत्र मुगनाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को मे मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या – 90 / 2019

प्रार्थी – लोडूराम पुत्र मुगनाराम जाति मेघवाल निवासी बामणा खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी –
1. तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज0
2. कानाराम पुत्र मुगनाराम
3. घेवाराम पुत्र मुगनाराम
4. भंवराराम पुत्र मुगनाराम
5. राजू पुत्री मेघाराम उर्फ मादुराम
6. सुण्डार पुत्री मेघाराम उर्फ मादुराम
7. भंवरी पत्नी मेघाराम उर्फ मादुराम जातियान मेघवाल निवासी बामणा खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956</u>

अभिवक्ता प्रार्थी –श्री सुरेन्द्र ढाका

अभिवक्ता अप्रार्थी–श्री छोटुराम बैड़ा

दिनांक 14.03.2022

–: आदेश :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम डुकियासर मे खसरा नंबर 1 रकबा 5.21 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 7 एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व0 मुगनाराम के वारिस है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 आपस मे सगे भाई है तथा एक अन्य भाई मेघाराम का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 प्रार्थी के भाई मेघाराम के वारिस है। राजस्व ग्राम डुकियासर मे खसरा नंबर 1 रकबा 5.21 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 के साथ सह खातेदारी मे दर्ज पुश्तेनी भूमि है जिसमे प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि के पुराने खसरा नंबर 153 रकबा 32.04 बीघा थे तथा उक्त भूमि पूर्व मे ग्राम हबचर की राजस्व सीमा मे थी लेकिन बाद मे राज्य सरकार द्वारा ग्राम डुकियासर अलग से राजस्व ग्राम घोषित होने से उक्त भूमि ग्राम डुकियासर की राजस्व सीमा मे दर्ज हुई। उक्त भूमि पहले प्रार्थी के पिता मुगनाराम पुत्र उर्जाराम की खातेदारी मे दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के बाद जरिये फौतगी नामान्तकरण संख्या 262 से प्रार्थी के बाल्यकाल मे प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी का घर पर बोलता नाम छोटाराम था जिससे उक्त फौतगी नामान्तकरण प्रार्थी का नाम उक्त भूमि की खातेदारी मे छोटाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम लोडूराम है। सभी सीक दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम लोडूराम दर्ज है। ग्राम पंचायत चौसली ने भी एक परिचय पत्र जारी कर लोडूराम व छोटाराम नाम का एक ही व्यक्ति होना

14.3.2022 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं० 3 का नोटिस तामील होकर प्राप्त हो चुका है, जो पत्रावली में पूर्व से संलग्न है। इन्हें आवाज दिलाई गई। बावजूद सूचना कोई हाजिर नहीं है अतः अप्रार्थी सं० 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
अप्रार्थी सं० 2, 4 से 7 ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए [illegible] शामिल
मिसल शामिल बहस वकलाय उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।